भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 175

सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

बंधुआ मजदूरों के लिए योजनाएँ

175. **श्री अरुण कुमार सागर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक मुक्त/पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु विशेषकर देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष-वार कोई सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए किसी समिति का गठन किया गया है अथवा गठित किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार रोजगार मंत्रालय, बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को उनकी श्रेणी और शोषण के स्तर के आधार पर 1.00 लाख रु., 2.00 लाख रु. और 3.00 लाख रु. तक की पुनर्वास सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 30,000/- रुपए तक प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या तथा जारी की गई पुनर्वास राशि का राज्यवार ब्यौरा (दिनांक 25.11.2025 तक) संलग्न है।

जारी..2/-

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत, राज्य सरकार द्वारा सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-प्रभाग में यथोचित संख्या में सतर्कता समितियाँ गठित करेगी। सतर्कता समिति, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होती है।

* ******

अनुबंध

'बंधुआ मजदूरों के लिए योजनाएँ' के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को श्री अरुण कुमार सागर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	**वर्ष**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**बंधुआ मजदूरों की संख्या जिन्हें तत्काल वित्तीय/अंतिम पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है**	**बंधुआ मजदूरों को प्रदान की गई तत्काल वित्तीय/अंतिम पुनर्वास सहायता की राशि (₹ लाख में)**
1.	2022-23	राजस्थान	70	14.00
		उत्तर प्रदेश	287	390.20
		तमिलनाडु	297	59.40
2.	2023-24	राजस्थान	56	11.20
		तमिलनाडु	176	56.80
		छत्तीसगढ़	76	15.20
		पुदुचेरी	5	15.00
		ओडिशा	155	15.50
3.	2024-25	राजस्थान	50	10.00
		तमिलनाडु	196	57.40
4.	2025-26 (दिनांक 25.11.2025 के अनुसार)	तमिलनाडु	41	19.30

*****